



रजिस्ट्री सं. : डी.एल.-33004/99

Regd. No. : D.L. - 33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)

Part II – Section 3 – Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937

No. 417]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/MAGHA 27, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

का.आ. 495(अ) :- केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22-के खण्ड (ख) के अनुसरण में लोकहित में निम्नलिखित सेवाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जन उपयोग सेवाएं घोषित करती है अर्थात् :-

- (क) शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों या
- (ख) आवास और भू-संपदा सेवा।

[फा.सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन-III (एल.ए.पी.)-जेयूएस]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

